Educationally backward districts in Gujarat

7485. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the names of the educationally backward districts in the country particularly in the State of Gujarat at present;

(b) whether Government have taken any steps for the upgradation of the education in Gujarat and other parts of the country; and

(c) if so, what is the outcome thereof?

THE MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) According to 1991 Census there are 250 districts in the country including 3 districts in Gujarat where literacy is below the national average of 52.51 percent. District-wise literacy rates are given in the Annual Report of the Ministry for the year 1992-93.

(b) and (c) A number of Central and State programmes are under implementation such as Operation Blackboard, Teacher Education, Non-Formal Education and Adult Education to promote educational development. The details of the Central schemes and the progress of implementation arc given in the Annual Reports of the Ministry.

Appointment of Director-General of SAI

74S6. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Sports Authority of India (SAI) has been functioning without a Director-General for the last many months;

(b) if so, what steps have been taken to appoint the Director-General; and

(c) the details of the steps taken to make the SAI a dynamic institution?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS): (SHRI MUKUL WASNIK): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Sports Authority of India (SAI) is continually evaluating its performance and taking steps to improve its functioning. Several measures have been taken in the recent past, which are as follows:—

(i) Evaluation of major SAI Schemes by Tata Consultancy Services;

(ii) Improving utilisation of SAI Stadias;

(iii) Considering extension of the duration of the course for training of coaches from $10^1/_2$ months to 2 years;

(iv) Finalising of Long Term Development Plans for important disciplines after detailed discussions with national federations; and

(v) Increasing input of sport sciences and training methods in our coaching of national level players/ teams.

Launching of Central Mid-Day Meal

7487. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has decided to launch the Central mid-day meal programme from the ensuing academic year; and

(b) if so, what are the modalities of the Central Noon meal scheme?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND THE DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) and (b) The Government has decided to participate in the phased expansion of the mid-day meals Schemes being implemented by the

State Governments. The modalities for implementation are being worked out by a Committee headed by the Union Education Secretary.

कापीराइट बोर्ड का पुनर्गठन

7488. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कापीराइट बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो गया है, यदि हां, तो कब और उसके पुनर्गठन में विलम्ब क्यों हो रहा है; और

(ख) कापीराइट बोर्ड में कितने विवाद कितने समय से लम्बित पड़े हैं, इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए सरकार की क्या योजना है, और इन मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) कापीराइट बोर्ड का कार्यकाल 31 मार्च, 1994 को समाप्त हो गया है। कापीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा कापीराइट अधिनियम, 1957 में किए गए संशोधनों को दृष्टिगत रखते हुए कापीराइट नियमों को तैयार करने के कारण बोर्ड का पुनर्गठन आस्थगित कर दिया गया था।

(ख) 30 अप्रैल, 1995 को कापीराइट बोर्ड के पास कापीराइट अधिनियम 1957 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत 109 मामले लंम्बित पड़े हुए थे। लंबित मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	लंबित मामलों की संख्या
1977	1
1978	1
1979	1
1981	3
1982	1
1984	2
1985	5
1986	8
1987	5
1988	1
1989	6
1990	2
1991	6
1992	13
1993	15
1994	25
1995	14
(30-4-95 तक)	109

बोर्ड के पुनर्गठन के पश्चात देश के विभिन्न संबंधित अंचलों में बोर्ड की बैठकों में इस मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।

कलाकारों को पेंशन दिया जाना

7489. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कलाकारों और साहित्यकारों को पेंशन दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में संस्कृति विभाग द्वारा भारतीय भाषाओं के किन-किन साहित्यकारों को पेंशन दी गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) योजना के अधीन, कलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे सर्जनात्मक व्यक्ति, जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जो 58 वर्ष से अधिक आयु के हैं और जिनकी आय 1000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, पृथक रूप से केन्द्रीय और केन्द्रीय राज्य/संघ शासित क्षेत्र कोटे के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु विचार के लिए पात्र हैं। केन्द्रीय कोटा श्रेणी के अधीन चयनित कलाकारों के मामले में 1500/- रुपये प्रति माह की पूरी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे कलाकारों को जारी की जाती है। केन्द्रीय राज्य/संघ शासित क्षेत्र कोटा के अधीन चयनित कलाकारों को उपरोक्त सहायता केन्द्र और संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा क्रमशः 2:1 के अनुपात में शेयर की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान साहित्य के क्षेत्र में 1500/- रुपये प्रति माह की दर पर 34 कलाकार यह वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 13 कलाकार केन्द्रीय राज्य/संघ शासित